<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266545 CG-DL-E-30092025-266545

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] No. 277] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) - 27/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ के मूल अथवा वहां से निर्यातित "4-एमिनोडाइफेनिलएमाइन (जिसे 4-एडीपीए के रूप में भी जाना जाता है)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. सं. 6/30/2025-डीजीटीआर: समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, मै. एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है)।

6507 GI/2025 (1)

- 2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और क्षति का खतरा है और उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।
- 3. आवेदक, एनओसीआईएल लिमिटेड, 4-एडीपीए का घरेलू उत्पादक है और उसने अनुरोध किया है कि इस मध्यवर्ती वस्तु के पाटित आयात से उसके प्रचालन को भारी क्षति हो रही है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- 4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "4-एमिनोडाइफेनिलामाइन" है, जिसे "4-एडीपीए" या "4-एन-फेनिलबेंजीन-1,4-डायमाइन" भी कहा जाता है।
- 5. 4- एडीपीए एक रबर रासायनिक मध्यवर्ती है जो 'रबर रसायन' के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पीएक्स -13 (एन-(1,3-डाइमिथाइलब्यूटाइल)- एन'-फेनिल-पी-फेनिलेनेडायमाइन) के उत्पादन में किया जाता है, जिसे 6पीपीडी भी कहा जाता है, और कुछ हद तक आईपीपीडी के उत्पादन में भी।
- 6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई भार है, जिसे मीट्रिक टन (एमटी) में व्यक्त किया जाता है। आवेदन में सभी जानकारी एमटी में प्रस्तुत की गई है।
- 7. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि व्यापारिक बिक्री के लिए उत्पादित और बेचे गए 4- एडीपीए और पीएक्स -13 उत्पादन के लिए कैप्टिव रूप से हस्तांतरित 4- एडीपीए की रिपोर्ट अलग-अलग की गई है। हालाँकि, वर्तमान जाँच के उद्देश्य से इसे एक ही उत्पाद माना गया है।
- 8. जाँचाधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष 2921 44 10 और 2921 51 90 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, यह संभव है कि संबंधित वस्तुओं का आयात अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 9. वर्तमान जांच के पक्षकार, प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पी.सी.एन., यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित संबद्ध वस्तु, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत:, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

11. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ हैं।

घ. जाँच की अवधि (पीओआई)

12. आवेदक ने जाँच की अवधि (पीओआई) के रूप में **1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025** तक की अवधि प्रस्तावित की है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि उपयुक्त पाई गई है। क्षति संबंधी जानकारी पीओआई और उससे पहले के तीन वर्षों, अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदान की गई है।

ड़. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

13. यह आवेदन मेसर्स एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा बनाता है, इसलिए, वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए उसके पास अपेक्षित योग्यता है।

- [11111-415 1]
- 14. मेसर्स फिनोरकेम लिमिटेड ने जाँच अवधि (POI) के दौरान विचाराधीन उत्पाद (PUC) की कुछ मात्रा का उत्पादन किया है और आवेदन का समर्थन किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि आवेदक कुल भारतीय उत्पादन में 99% हिस्सेदारी रखता है। आवेदक ने यह भी कहा है कि उसने संबंधित देशों से PUC का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, उसका संबंधित देशों के किसी निर्यातक या भारत के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
- 15. इसके मद्देनजर, तथा जांच के पश्चात, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है तथा यह नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य

- 16. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मृल्य एंटी-इंपिंग नियम, 1995 के अनुलग्नक-। के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजन किया गया है।
- 18. आरंभ के प्रयोजन के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदक यूरोपीय संघ में 4-एडीपीए के लिए सत्यापन योग्य घरेलू बिकी कीमत प्राप्त नहीं कर सका। अतः, सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद, उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

20. संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत की गणना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखाना-द्वार स्तर पर ज्ञात करने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मुल्य से तुलनीय बन जाएं।

पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. क्षित के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षित को दर्शाते हैं। क्षित अविध के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मानदंडों से संबंधित जानकारी दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण मूल्य में आई गिरावट ने घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण वह कम क्षमता उपयोग और व्यापारिक बाजार में कम घरेलू बिक्री के साथ काम कर रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यदि उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग को ऑर्डर दिए होते, तो वह आयात के बराबर उत्पादन और बिक्री कर सकता था। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए बिक्री विवरण से पता चलता है कि यद्यपि घरेलू बिक्री सीमित है, फिर भी यह क्षित अविध में फैली हुई है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद की पाट ने कैप्टिव खपत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसलिए, क्षित को कैप्टिव खपत सहित देखा जाना आवश्यक है। घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा और व्याज एवं कर पूर्व घाटा हुआ है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर, तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षित तथा ऐसे कथित पाटन और क्षित के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षित को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जाँच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

24. उक्त नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत यथा निर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जाँच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

- 25. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों <u>ds-dgtr@gov.in</u>, <u>ad12-dgtr@gov.in</u>, एक प्रति <u>dir15-dgtr@gov.in</u> और <u>consultant-dgtr@govcontractor.in</u> पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
- 26. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
- 27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित ढ़ग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों ds-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in, एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से जिस तारीख को प्राधिकारी ने इसे भेजा था या निर्यातक देश के उचित राजनियक को प्रेषित किया है, भेजी जानी

चाहिए । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

- 30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 31. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे।
- 32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 33. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।
- 34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 35. किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 36. हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालित होने के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 29th September, 2025

Case No.-AD (OI)-27/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "4-Aminodiphenylamine (also known as 4-ADPA)" originating in or exported from China PR and European Union – reg.

- 1. **F. No. 6/30/2025-DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s NOCIL Limited (hereinafter referred to as "applicant" or "petitioner") has filed an application seeking imposition of anti-dumping duty on the imports of "4-Aminodiphenylamine" (hereinafter referred to as the "product under consideration" or "4-ADPA"), originating in and exported from China PR and European Union (hereinafter referred to as the "subject countries").
- 2. The applicant has alleged that injury and threat of injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.
- 3. The applicant, NOCIL Limited, is the known domestic producer of 4-ADPA and has submitted that dumped imports of this intermediate are causing significant injury to its operations.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- 4. The product under consideration (PUC) in this present application is "4-Aminodiphenylamine" also known as "4-ADPA" or "4-N-phenylbenzene-1,4-diamine".
- 5. 4-ADPA is a rubber chemical intermediate falling under the scope of 'Rubber Chemicals'. It is primarily used in the production of PX-13 (N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine), also known as 6PPD, and to a minor extent in the production of IPPD.
- 6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is weight, expressed in Metric Tonne (MT). All information in the application is presented in MT.
- 7. The applicant has submitted that 4-ADPA produced and sold for merchant sales and the 4-ADPA that is captively transferred for PX-13 production are reported separately. However, this has been treated as a single product for the purpose of present investigation.
- 8. The product under investigation is being imported under Custom Tariff Heading 2921 44 10 and 2921 51 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.
- 9. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

B. LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, quality, functions and end use of the two products. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject countries

C. SUBJECT COUNTRIES

11. The subject countries in the present petition are China PR and the European Union.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

12. The applicant has proposed the period of investigation (POI) as **1st April 2024 to 31st March 2025.** The period proposed by the applicant and the same is found to be appropriate. The injury information has been provided for the POI and the three preceding years, that is 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 13. The application has been filed by M/s NOCIL Limited. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India constituting 100% of the Indian production and therefore, has the requisite standing to file the present application.
- 14. M/s Finorchem Ltd. has produced some quantity of the product under consideration (PUC) during the period of investigation (POI) and has supported the application. It is noted that the applicant accounts for 99% share in the total Indian production. The applicant has also stated that it has not imported the PUC from the subject countries. Further, it is not related to any exporter in the subject countries nor to any importers in India.
- 15. In view of the same, and after examination, the Authority is satisfied that the application has been made by the domestic industry and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value China PR

- 16. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
- 17. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has determined normal value for the product under consideration based on cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin.

18. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

Normal Value for European Union

19. The applicant could not obtain verifiable domestic selling prices for 4-ADPA in the European Union. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

Export Price

20. The export price for the subject goods has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S) transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

Dumping Margin

21. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is sufficient prima *facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

22. With regards to injury, the domestic industry has furnished prima facie evidence showing injury suffered because of alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the volume of subject imports from the subject countries has increased in absolute as well as relative terms. The price depression caused by dumped imports has prevented the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return, resulting in the domestic industry suffering losses. The domestic industry has claimed that it is operating with low capacity utilization and low domestic sales in the merchant market because of dumped imports. The domestic industry has claimed that it could have produced and sold to the extent of imports, had the consumers placed orders on the domestic industry. The sales details provided by the domestic industry shows that though the domestic sales are limited, they are spread over the injury period. The domestic industry has also claimed that dumping of the product has adversely affected captive consumption as well and therefore, the injury is required to be seen including captive consumption. The domestic industry has suffered financial losses and loss before interest and tax. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

23. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the

subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

24. The principles as stipulated under Rule 6 of the said Rules shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

- 25. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address <u>ds-dgtr@gov.in</u> and <u>ad12-dgtr@gov.in</u>, a copy to <u>dir15-dgtr@gov.in</u>, and <u>consultant-dgtr@govcontractor.in</u>. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
- 26. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
- 27. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

K. TIME LIMIT

- 28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses <u>ds-dgtr@gov.in</u> and <u>ad12-dgtr@gov.in</u>, a copy to <u>dir15-dgtr@gov.in</u>, <u>consultant-dgtr@ govcontractor.in</u> within thirty (30) days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
- 29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

- 30. Any party making any confidential submissions or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
- 31. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

- 32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
- 33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority